JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम– जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैंज तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.050 हे0 मक डिस्पोजल हेतु कुल 0.400 हे0 आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग सोनला कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से प्रारम्भ होकर सेंज ग्राम तक जाता हैं। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। मोटर मार्ग हेतु तकनीकी दृष्टि से भी आरक्षित वन भूमि पर ही मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव है। वन भूमि के अलावा अन्य किसी प्रकार की भूमि से मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है।

समरेखण–1 यह मोटर मार्ग सोनला कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से होकर सेंज गॉव तक 1.00 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रीय जनता की सहमति हैं तथा भूगर्भवेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में कोई भी हेयरपिन बैण्ड नहीं पड़ता हैं तथा 61 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण–2 यह मोटर मार्ग सोनला कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से होकर सेंज गॉव तक 1.00 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण से क्षेत्रीय जनता भी सहमत नहीं हैं। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड की सं0 2 है तथा 80 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।